वित्त निर्देश 34/2008

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग,
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 212/सी-23134/वित्त/नियम/चार/2008, रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर, 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (क्रमांक 04 सन् 2008), पशु चिकित्सा (राजपत्रित) अधिकारियों की अधिवार्षिकी-आयु में वृद्धि ।

प्रदेश में पशु चिकित्सकों की कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा पशु चिकित्सा विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारियों हेतु निर्धारित अधिवार्षिकी आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने हेतु विचार किया जाकर निर्णय लिया गया है कि, छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम 1966 की अनुसूची-एक में उल्लेखित किसी पशु चिकित्सा पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) का ऐसा सदस्य जिसकी नियुक्ति उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई हो, जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हैं, और उसमें ऐसा पशु चिकित्सा (राजपत्रित) अधिकारी भी सम्मिलित होगा, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम 20 वर्ष तक पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया हो बशर्ते कि वह संबंधित छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो, कि अधिवार्षिकी आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया जाये ।

2. तद्नुसार छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अध्यादेश, 2008 द्वारा मूल नियम 56 में आवश्यक संशोधन किया गया है । यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) (क्रमांक 4 सन् 2008) दिनांक 10.10.2008 (प्रति संलग्न) में प्रकाशित किया जा चुका है । छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अध्यादेश, 2008 दिनांक 01 सितंबर, 2008 से प्रभावशील होगा । माह सितंबर, 2008 से इस अध्यादेश के प्रकाशन की तारीख के बीच 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त होने वाले पशु चिकित्सा अधिकारियों को भी इस अध्यादेश का लाभ वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 106/सी-17958/वित्त/नियम/चार, दिनांक 9.5.08 (वित्त निर्देश क्रमांक 13/2008) के बिन्दु क्रमांक 4 के शर्तो के अधीन प्राप्त होगा । परन्तु दिनांक 01 सितंबर 2008 और

इस अध्यादेश के प्रकाशन की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान पशु चिकित्सा अधिकारी की मृत्यु होने पर इस अध्यादेश का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

3. ऐसे पशु चिकित्सा अधिकारी जो इस आदेश के लागू होने की तिथि अर्थात 01 सितंबर 2008 पर सेवावृद्धि, पुनःनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति पर हैं उनके मामलों में यह आदेश लागू नहीं होगा, क्योंकि वे इस संशोधन के पूर्व विद्यमान नियमों/निर्देशों के अंतर्गत अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर चुके हैं ।

संलग्न :- राजपत्र की प्रति

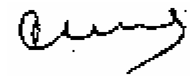

(एस.के.चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 213/सी-23134/वित्त/नियम/चार/2008, रायपुर, दिनांक 13.10.2008

<u>प्रतिलिपिः-</u>

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट (www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-0..."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 357] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2008—आश्विन 18, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2008

क्रमांक 9720/डी-255/21-अ/प्रारूपण/08.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छ. ग. के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2008) एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 4 सन् 2008)

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अध्यादेश, 2008

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत: राज्य विधान मंडल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्रवाई करें ;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अध्यादेश, 2008 है,

(2) यह 1 सितम्बर, 2008 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1967 का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 में, विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1967 की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूल नियम (फंडामेंटल रूल्स) 56 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में, मूलभूत नियम-56 में,—

(एक) उपनियम (1) में, शब्द तथा अंक "छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची एक में उल्लेखित किसी चिकित्सा शिक्षक के पद पर नियुक्त हुआ हो" के पश्चात् शब्द तथा अंक "तथा छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1966 की अनुसूची एक में उल्लिखित किसी 'पशु चिकित्सा' पद पर नियुक्त हुआ हो" अंत:स्थापित किये जाये.

(दो) उपनियम (1-ग) में शब्द तथा अंक "छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य" के पश्चात् शब्द तथा अंक "तथा छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम 1966 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी 'पशु चिकित्सा' पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) का प्रत्येक सदस्य" अंत:स्थापित किये जायें.

(तीन) उपनियम (1-ग) के परन्तुक में शब्द "लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा का ऐसा सदस्य" के पश्चात् शब्द तथा अंक "तथा छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम 1966 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी 'पशु चिकित्सा' पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) का ऐसा सदस्य" अंत:स्थापित किये जायें.

(चार) उपनियम (1-ग) में शब्द "स्पष्टीकरण" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण-I"

(पांच) उपनियम (1-ग) के स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये :—

स्पष्टीकरण-II "इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) के किसी सदस्य" से अभिप्रेत है, ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति भर्ती नियमों के अनुसार पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में की गई है और इसमें ऐसा पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित है, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जिसने कम से कम बीस वर्षों तक पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया हो बशर्ते कि वह संबंधित छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो."

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2008

क्रमांक 9720/डी-255/21-अ/प्रारूपण/08.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छ. ग. शासकीय सेवक (अधिवार्षिकीय आयु) (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2008) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 4 of 2008)

THE CHHATTISGARH SHASKIYA SEVAK (ADHIVARSHIKI-AYU) (SANSHODHAN) ORDINANCE, 2008

An Ordinance Further to amend the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhiniyam, 1967.

Promulgated by the Governor in the Fifty-ninth year of Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) (Sanshodhan) Ordinance, 2008. **Short title and Commencement.**

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of September, 2008.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhiniyam, 1967 (No. 29 of 1967) (hereinafter referred to as the Principal Act) shall have effect subject to the amendment specified in Section 3. **Chhattisgarh Act No. 29 of 1967 temporarily amended**

Amendment of Fundamental Rule 56 as substituted by section 2 of the C. G. Act No. 29 of 1967.

3. In Section 2 of the Principal Act, in Rule 56 of the Fundamental Rules :—

(i) In sub-rule (1), after the words and figure "Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1987", the words and figure "and every member of the Chhattisgarh Veterinary Service (Gazetted) appointed to a 'veterinary medical' post mentioned in schedule-I to the Chhattisgarh Veterinary Service Recruitment Rules, 1966" shall be inserted.

(ii) In sub-rule (1-c), after the words and figure "Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopathy) (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1987", the words and figure "and every member of the Chhattisgarh Veterinary Service (Gazetted) appointed to a 'veterinary medical' post mentioned in schedule-I to the Chhattisgarh Veterinary Service (Gazetted) Recruitment Rules, 1966" shall be inserted.

(iii) In proviso of sub-rule (1-c), after the words and figure "Recruitment Rules, 1987", the words and figure "and a member of the Chhattisgarh Veterinary Service (Gazetted) appointed to a 'veterinary medical' post mentioned in schedule-I to the Chhattisgarh Veterinary Service (Gazetted) Recruitment Rules, 1966" shall be inserted.

(iv) In sub-rule (1-c), for the word "Explanation" the following shall be substituted, namely :—

"Explanation-I"

(v) After the explanation of sub-rule (1-c), the following shall be added :—

Explanation-II "For the purpose of this sub-rule "a member of the Chhattisgarh Veterinary Service (Gazetted)" means a Government servant by whatever designation called, appointed as veterinary medical officer or specialist in accordance with the recruitment rule applicable to such appointment and shall also include such veterinary medical officer or specialist who is appointed to an administrative post by promotion or otherwise and who has served as veterinary medical officer or specialist for not less than twenty years provided he holds a lien on a post in concerned Chhattisgarh Veterinary Service (Gazetted)".

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.